

दिनांक... 14-7-2022...

14-7-22 पत्रावली चेशु दुई वकील वादी अनुपस्थित।
वकील प्रतिवादी उपस्थित। बार-बार आवाज
दिलवाए गयी बार-बार आवाज दिलवाने
के बावजूद वादीगण एवं वकील वादी में
से कौछ उपस्थित नहीं। अतः अदम हाजरी।
अदम पैरवी में वादी का वाद खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर
से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनाथ (अजमेर)

पत्रावली
14/7/2022

